



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0वी0पी0/2021/ 195

दिनांक :- 28/10/2021

निमित्त :-

श्री नरेन्द्र खण्डेलवाल एवम् श्रीमति हेमलता खण्डेलवाल
निवासी :- वल्लभबाड़ी, गुमानपुरा,
कोटा।

विषय :- ससरा नं0 76 (आंशिक) ग्राम कुन्हाड़ी क्षेत्रफल 11500 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान सम्बन्ध में।

प्रसंग :- आपका आवेदन दिनांक 28/4/2021 के सन्दर्भ में।

राज्य सरकार कि अधिसूचना क्रमांक एफ 3(77)न.वि.वि./3/2010 दिनांक 28.06.10 द्वारा जारी निजी क्षेत्र में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं हेतु नीति 2010 (10 हैक्टेयर से कम) के अन्तर्गत आपके आवेदन के क्रम में ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 23/09/2021 में लिये गए निर्णयानुसार ले-आउट प्लान स्वीकृति उपरांत योजना विकसित किये जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ जारी किया जा रहा है -

- (1) अनुमोदित योजना प्लान में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी है।
- (2) नियमानुसार कृषि भूमि रूपान्तरण राशि न्यास कार्यालय में जमा करवानी होगी।
- (3) पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों के अनुसार भूखण्डों की बुकिंग, पट्टा/लीज डीड आदि की कार्यवाही की जावेगी।
- (4) योजना में विकास कार्य उक्त तिथि से 6 माह में प्रारम्भ व 18 माह में पूर्ण करना होगा। विकास कार्य पॉलिसी में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न्यास के संबंधित अधिशाषी अभियंता की देखरेख में कराना होगा, निर्धारित समयावधि में मानदण्डों के अनुसार योजना के सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर अधिवास प्रमाण-पत्र लिया जावेगा, तथा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत 3 वर्ष तक रख-रखाव करना होगा। यदि योजना में विकास कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पाये जाते हैं, तो अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- (5) भूखण्डों पर निर्माण न्यास से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करवाना होगा।
- (6) स्वीकृत प्लान अनुसार ही विकास कार्य किये जावेंगे योजना में किसी प्रकार का संशोधन न्यास की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- (7) रैनवाहटर हारवेस्टिंग के लिये व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। विकसित की जाने वाली योजना में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार सड़कें, सीवर लाईन, नाले ओवरहेड, केबल्स आदि के लिये सम्बन्धित संस्था को 'सईट आफ वे' दिया जावेगा।
- (8) स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति जानकारी हेतु योजना स्थल पर बोर्ड पर लगाई जावें, जिसमें न्यास में रहन रखे गये भूखण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जावें।
- (9) ले-आउट में सड़कों का लेवल इस प्रकार हो कि ड्रेनेज की व्यवस्था मुख्य सड़कों पर स्थित ड्रेन में सुचारु रूप से हो सके।
- (10) आंतरिक विकास कार्य के पेटे 12.5 % विक्रय योग्य भूखण्ड (भूखण्ड सं0 C-1, C-2, C-14, C-15, C-28, C-29, C-52 कुल भूखण्ड 7 क्षेत्रफल 8912 वर्गफीट) आरक्षित किये जाते हैं, जिनकी बुकिंग न्यास द्वारा भूखण्ड रहनमुक्त करने के उपरांत ही की जा सकेगी। उक्त भूखण्ड नगर विकास न्यास में रहन है एवं उक्त भूखण्डों को किसी को भी बैचान नहीं करें। यदि बैचान किया जाना प्यस जाता है तो स्वीकृति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। जिसकी

समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉगेज डीड संपादित करवायें।

- (11) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरान्त तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- (12) समय-समय पर राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा नियमों/शर्तों की पालना करनी होगी।
- (13) टाउनशिप पॉलिसी-2010 में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना करनी होगी।
- (14) उपरोक्तानुसार शर्तों की पालना नहीं होने पर स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न :- स्वीकृत ले-आउट प्लान

(राजेश जोशी)

सचिव

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2021/

दिनांक :- /10/2021

प्रतिलिपि :-

- 1- उप सचिव (.....), नगर विकास न्यास, कोटा। को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉगेज डीड संपादित करवायें। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मुक्त किये जा सकेंगे।
- 2- अधिशाषी अभियंता (.....) को प्रेषित कर लेख है कि योजना का समय-समय पर मौका निरीक्षण करें एवम् समय-समय पर विकास कार्य की जांच कर निर्धारित मानदण्ड अनुसार सुनिश्चितता कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

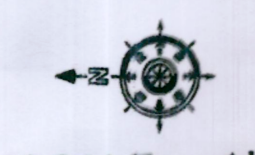
(सहावीर सिंह मीना)

वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर विकास न्यास, कोटा

New

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR
"RIDDHI MENSIONS" SCHEME
VILLAGE : KUNARI IN KHASRA
NO. : 76 (PART)
TEH. LADPURA, DIST. KOTA
(RAJ.)



SCALE = 1"=60'

KH.NO.- AREA IN HACT.
76(PART)- 1.15
TOTAL 1.15 HT.
11,500 SQ.MT/1,23,740 SQ.FT.

AREA STATEMENT:-

TOTAL AREA- 1,23,740 SQ.FT.		
RESIDENTIAL AREA	68,515 SQ. FT.	55.37 %
LC SHOP	2,545 SQ. FT.	2.06 %
GARDEN	6,200 SQ. FT.	5.01 %
S.W./M.T.	360 SQ. FT.	0.29 %
AREA IN SECTOR ROAD	9,235 SQ. FT.	7.46 %
ROAD AREA	36,885 SQ. FT.	29.81 %
TOTAL AREA	1,23,740 SQ.FT.	100 %

OFFICE USE ONLY

PROPOSED SECTOR ROAD - 60 FT.

PROPOSED SECTOR ROAD - 60 FT.

PROPOSED SECTOR ROAD - 60 FT. TO BUNDI ROAD

SECTOR ROAD - 60 FT.

TO BAJAJ NAGAR

नोट :-
योजना के आंतरिक विकास के छे छे
विभागद्वारा 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में
मूकण्ड सं० C-1, C-2, C-14, C-15,
C-28, C-29, C-52 कुल मूकण्ड 7
क्षेत्रफल 8912 वर्गफीट आरक्षित किये जाते
हैं, जिसे पीले रंग से दर्शाया गया है।
12.5 प्रतिशत आरक्षित मूकण्ड को रूख रखे
जाने हेतु मॉर्गल रीड संपादित कराया। उक्त
मूकण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के
उपरांत विभागद्वारा मुक्त किये जा सकेंगे।

ते-आउट प्लान नं० 76 (आंशिक) ग्राम कुन्वारी क्षेत्रफल 11500
वर्गफीट (Mark)

ते-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 23/09/2021 में लिये गए
विभागद्वारा निम्न शर्तों के साथ ते-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है :-

Residential Area	I.C. Shop	Park
68300 वर्गफीट 55.37 प्रतिशत	2545 वर्गफीट 2.06 प्रतिशत	6200 वर्गफीट 5.01 प्रतिशत
M.T./S.W.M	Area in Sector Road	Road
360 वर्गफीट 0.29 प्रतिशत	9235 वर्गफीट 7.46 प्रतिशत	37100 वर्गफीट 29.98 प्रतिशत

कुल क्षेत्रफल - 123740 वर्गफीट

- (1) पहुंच सड़क का मागीविकार व्यूतम 60 फीट रखा जावे।
- (2) टउनशिप पोलिसी-2010 की पालना सुनिश्चित की जावे।
- (3) योजना में व्यूतम 5 प्रतिशत पार्क एवं पार्क रखा जावे।
- (4) आवेक को योजना के आंतरिक विकास बादा टउनशिप पोलिसी-2010 के अनुसार तकमिने प्रस्तुत करने एवं तकमिनो का ब्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- (5) नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3(77)नवि/3/2009 पार्ट IV जयपुर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।
- (6) नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 10/8/2020 के अनुसार प्रावधान रखे जावे होंगे।

हरिद्वीप नगर विकास न्यास, कोटा

हरिद्वीप नगर विकास न्यास, कोटा

C-15 C-14

GARDEN AREA-6,200 SQ.FT.

14

MOBILE TOWER

82/469

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

23' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

23' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

23' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

23' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'

30' 25'